न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 210/2014

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. भूण्डाराम पुत्र गुलाराम
जाति–मेघवाल, निवासी–भेसाणा
तह0–सोजतसिटी, जिला–पाली (राज.)

1. तहसीलदार, जैतारण (लैण्ड होल्डर)
भूमिधारी राजस्थान सरकार
तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)
2. पटवारी हल्का–मोहराई
3. शाखा प्रबंधक
मा0ग्रा0बैंक शाखा–निमाज
तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.07.11.2014

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2- प्रतिवादी 1व3 स्वयं उपस्थित।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 10/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा–मोहराई, तहसील–जैतारण में खाता सं0 329 खसरा नम्बर 527/3 रकबा 4–00 बीघा, खसरा नम्बर 527/17 रकबा 1–05 बीघा, कुल किता–2 कुल रकबा 5–05 बीघा की एक मात्र खातेदार काश्तकार छोटीदेवी पत्नि तेजाराम तथा खसरा नम्बर 527/12 रकबा 0–03 बीघा में 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार छोटीदेवी पत्नि तेजाराम जाति–बावरी, निवासी–मोहराई के नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। उक्त भूमि खातेदार छोटीदेवी ने पारिवारिक प्रबंध एवं निजी आवश्यकता होने से अपने हिस्से की कृषि भूमि को जरिए विक्रय विलेख के दिनांक 03/05/2013 को प्रतिफल की राशि एक लाख सात हजार नो सौ चालीस रूपये प्राप्त कर क्रेता / वादी को बेचान कर भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया। उक्त कृषि भूमि की खातेदार छोटीदेवी ने अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 के यहां रहन रखकर ऋण लिया था। बैंक से लिये कृषि ऋण का भुगतान भी बैंक को छोटीदेवी ने कर दिया। परन्तु प्रतिवादी संख्या तीन ने वक्त भुगतान एन0ओ0सी0 भूमि रहन मुक्त बाबत् ऋणी छोटीदेवी को अनापति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया, जिससे उक्त भूमि जमाबन्दी में रहन मुक्त नहीं हो पायी। वादी अपनी क्रय की गई उक्त भूमि की बेचान रजिस्ट्री लेकर रेवेन्यू एजेन्सी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पास दिनांक 23/06/2013 पेश कर अपना नाम जमाबन्दी में दर्ज करने हेतु कहा तो उन्होंने छोटी के हिस्से की भूमि को बैंक के रहन होना बताकर वादी के पक्ष में म्यूटेशन पारित करने से मना कर दिया। जबकि वादी ने यह भी निवेदन किया कि उक्त भूमि पर ऋणी ने अपनी भूमि को बैंक से रहन मुक्त करवा दिया हैं, फिर भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। वादी स्वयं ने प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यालय में वाद

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

में वर्णित खसरा नम्बर बाबत् बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 05/06/2014 को दिया तो उन्होंने कहा कि बैंक के नियमानुसार ऋणी को ही एन0ओ0सी0 दी जा सकती हैं। जबकि बैंक में ऐसे कोई नियमों के प्रावधान नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भी वादी अधिवक्ता स्वयं द्वारा भी दिनांक 01/08/2014 को उक्त कृषि भूमि के रहन मुक्त बाबत् एन0ओ0सी0 देने का निवेदन किया व कहा कि मेरे मुव्वकिल का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो जाये। परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 जानबुझकर मात्र वादी को हैरान परेशान करने की नियत से रहन मुक्ति बाबत् अनापति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। जबकि कानून की यह मंशा हैं कि उक्त भूमि पर अब किसी प्रकार का ऋण भी नहीं हैं तो माफिक विक्रय विलेख के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अर्थात् रेवेन्यू एजेन्सी को उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना चाहिये। यदि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया जाता हैं तो वादी को अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा व वादी को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। इसलिए उक्त कारणों से वादी अपनी खरीद सुदा भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी होने से यह वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश किया हैं। राज्य सरकार के हि प्रभावित नहीं होने से प्रति संख्या 1 व 2 के लिए धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र आवश्यक नहीं हैं। धारा 7 आर0टी0एक्ट से छूट दी गई हैं। बिनायवाद दिनांक 23/06/2013 व दिनांक 05/06/2014 तथा दिनांक 01/08/2014 को वादी ने प्रतिवादीगण को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने बाबत् निवेदन किया तो प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार से संतोषजनक जबाब नहीं देने एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने पर बमुकाम-मोहराई तहसील-जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से अन्दर म्याद यह वाद श्रीमान् के समक्ष पेश किया हैं। इस प्रकार माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की वकील मय वादीगण ने ईशतदुआ की हैं। इस पर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सम्मन की तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 24/11/14 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति0 संख्या 1 स्वयं एवं सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण उपस्थित आए, जिन्हें दिनांक 04/12/14 से लगातार अवसर दिये जाने पर भी जबाबदावा पेश करने में विफल रहे, जिससे प्रति0 संख्या 1 की ओर से जबाबदावा बन्द किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-मोहराई व आसरलाई में प्रस्तुत हुई। न्यायालय हाजा के पत्रांक/कोर्ट/15/स्पे.1 दिनांक 08/06/2015 को जरिए वांछित छोटीदेवी के हिस्से की भूमि का रहन मुक्त प्रमाण-पत्र उनके पत्रांक/249 दिनांक 10/06/15 तहसीलदार, जैतारण के संलग्न प्रमाण-पत्र दिनांक 10/06/2015 प्रेषित कर पृष्ठांकित प्रति प्रस्तुत हुई, सा0मि0 की गई। तहसीलदार, जैतारण स्वयं उपस्थित आए। तहसीलदार जैतारण ने जाहिर किया कि छोटी द्वारा बेचान किया गया सही हैं और बैंक ने उसका हिस्सा रहन मुक्ति का प्रमाण-पत्र पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 3 ग्रामीण बैंक को इस हिस्से बाबत् किसी प्रकार का एतराज नहीं हैं। वादी स्वयं ने छोटी देवी से जरिए रजिस्ट्री के खरीद की हैं और राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने की अधिकारी हैं। वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद वादी स्वीकार किया जाता तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–मोहराई, तहसील–जैतारण में खाता सं0 329 खसरा नम्बर 527/3 रकबा 4–00 बीघा, खसरा नम्बर 527/17 रकबा 1–05 बीघा, कुल किता–2 कुल रकबा 5–05 बीघा का छोटी के विक्रय करने पर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। सम्बद्ध बैंक से रहन मुक्ति का अनापति प्रमाण–पत्र पत्रांक/1250 दिनांक 10/06/2015 के जरिए प्राप्त हो चुका हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार, जैतारण को लिखा जावे कि माफिक निर्णय के राजस्व अभिलेख में वादीया का नाम दर्ज किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर –आसरलाई में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :-

1. भूण्डाराम पुत्र गुलाराम
जाति-मेघवाल, निवासी-भेसाणा
तह0-सोजतसिटी, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण
भूमिधारी राजस्थान सरकार
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
2. पटवारी हल्का-मोहराई
3. शाखा प्रबंधक
मा0ग्रा0बैंक शाखा-निमाज
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:210/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-मोहराई, तहसील-जैतारण में खाता सं0 329 खसरा नम्बर 527/3 रकबा 4-00 बीघा, खसरा नम्बर 527/17 रकबा 1-05 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 5-05 बीघा का छोटी के विक्रय करने पर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। सम्बद्ध बैंक से रहन मुक्ति का अनापति प्रमाण-पत्र पत्रांक/1250 दिनांक 10/06/2015 के जरिए प्राप्त हो चुका हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। तहसीलदार, जैतारण को लिखा जावे कि माफिक निर्णय के राजस्व अभिलेख में वादीया का नाम दर्ज किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-.....फीसं सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	२	००	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा		००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		००	महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	५	००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	—		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—		मुत्फरिक		
मिजानः-	१३	००	मिजानः-	Nil	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner